2020 दिल्ली दंगा मामला

शरजील को 10 दिन की अंतरिम जमानत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 मार्च।

शरजील इमाम

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी शरजील इमाम को अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने इमाम की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उसने इस महीने होने वाले विवाह समारोह में शामिल होने के लिए छह सप्ताह की जमानत का अनुरोध किया था। अदालत ने अपने आदेश में 20 से 30 मार्च तक अंतरिम जमानत मंजूर की।

इमाम उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों से संबंधित मामले में आरोपी है, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे। यह हिंसा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी।

हवाई क्षेत्र में पाबंदी, मैनचेस्टर जा रही इंडिगो की उड़ान दिल्ली लौटी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 मार्च।

पश्चिम एशिया संकट के कारण कई हवाई क्षेत्रों में प्रवेश पर लगी पाबंदी की वजह से सोमवार को इंडिगो की मैनचेस्टर जाने वाली एक उड़ान दिल्ली लौट आई। सोमवार को इरिट्रिया के हवाई क्षेत्र में पाबंदी के कारण यह निर्णय लिया गया।

सूत्रों ने यह जानकारी दी। यह उड़ान पट्टे पर लिए गए बोइंग 787 विमान से संचालित हो रही थी। विमानन कंपनी इंडिगो ने एक बयान में कहा, पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति के कारण आखिरी वक्त में हवाई क्षेत्र पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण दिल्ली से मैनचेस्टर जाने वाली हमारी उड़ान 6 इ 033 को अपने मूल स्थान पर लौटना पड़ा। एअरलाइंस ने कहा, संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर दोबारा यात्रा की संभावनाएं तलाश रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि इरिट्रिया के अधिकारियों से कुछ मंजूरी संबंधी समस्याएं थीं, और जोखिम मूल्यांकन के बाद उड़ान को दिल्ली लौटाने का निर्णय लिया गया।

सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल चुनावों की निगरानी के लिए सुनवाई आज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 मार्च।

बार काउंसिल चुनावों की निगरानी के लिए बनाई गई उच्चाधिकार समिति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के मामले में सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। सोमवार को प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इस बात की जानकारी दी।

इस मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील मनन कुमार मिश्रा ने बताया कि एक वकील ने समिति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। मिश्रा ने कहा कि यह मामला बहुत गंभीर है। उनके अनुसार एक वकील की अपील पर विचार नहीं किया गया, इसलिए उसने समिति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी। यह मामला महाराष्ट्र और गोवा राज्य बार काउंसिल चुनाव से जुड़ा है। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि मामले की सुनवाई मंगलवार को की जाएगी।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बार काउंसिल चुनावों की निगरानी के लिए एक विशेष समिति बनाई थी। इस समिति के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया हैं। इसके अन्य सदस्य पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि शंकर झा और वरिष्ठ वकील वी गिरी हैं।

अहमदाबाद विमान हादसे की जल्द आएगी रपट : नायडू

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 मार्च।

पिछले सप्ताह अलग-अलग देशों में फंसे करीब 90,000 भारतीय नागरिक सुरक्षित स्वदेश लौटे हैं।

नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने सोमवार को राज्यसभा को बताया कि पिछले साल जून में एअर इंडिया विमान हादसे की जांच रपट साल के आखिर तक आ जाएगी। उन्होंने कहा, वायुयान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआइबी) इस हादसे की जांच त्वरित गति से जांच कर रहा है और रपट जल्द आएगी।

राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में नायडू ने कहा जल्द से जल्द जांच पूरी करने के लिए मंत्रालय की तरफ से इससे संबंधित सभी संसाधन मुहैया किए जा रहे हैं। नायडू ने कहा, बहुत जल्द, साल के अंत तक रपट आ जानी चाहिए।

नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने सोमवार को राज्यसभा में बताया, पिछले सप्ताह अलग अलग देशों में फंसे करीब 90,000 भारतीय नागरिक सुरक्षित स्वदेश लौटे हैं। नायडू ने बताया कि गृह मंत्रालय की तरफ से समय-समय पर यात्रा परामर्श जारी किए जा रहे हैं।

विमानन मंत्रालय तमाम एअरलाइंस की मदद से सुरक्षित उड़ानों और नागरिकों की वापसी सुनिश्चित करने में पूरी कोशिश कर रहा है।

जिला अस्पतालों में 50 फीसद तक बढ़ेगी आपातकालीन देखभाल क्षमता

नई दिल्ली, 9 मार्च (ब्यूरो)।

देशभर के जिला अस्पतालों में 50 फीसद तक आपातकालीन व आघात देखभाल क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इसे लेकर केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार के तरफ से रखे गए प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने के लिए सोमवार को विशेषज्ञ एकजुट हुए।

प्रस्ताव के तहत जिला अस्पतालों में आपातकालीन और आघात देखभाल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इनकी मदद से अचानक होने वाली स्वास्थ्य आपात स्थितियों में मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा।

आनलाइन हुई बैठक में विशेषज्ञों ने बताया कि भारत में सड़क दुर्घटनाएं, दिल का दौरा, स्ट्रोक, जहरखुरानी, जलने की घटनाएं और सांप के काटने जैसे कई मामले बड़ी संख्या में सामने आते हैं।

इंडियन बैंक Indian Bank इलाहाबाद ALLAHABAD

स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट शाखा,
प्रथम तल, 17, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
फोन : 01140230166
ई-मेल : armbdelhi@indianbank.co.in

सार्वजनिक सूचना

इंडियन बैंक द्वारा गठित साशय चूककर्ता पहचान समिति (डब्ल्यूडीआईसी) ने नीचे वर्णित कर्जदार/गारंटर/प्रवर्तक/निदेशक/व्यक्तियों, जो संबंधित संस्था के कार्य प्रबंधन के प्रभारी और जिम्मेदार हैं, की पहचान करने की प्रक्रिया आरंभ की है और साशय चूककर्ता के तौर पर पहचान की है, तथा डब्ल्यूडीआईसी आदेश दिनांकित 04-02-2026 जारी किया है।
इस आदेश में साशय चूक की घटना (घटनाक्रम) का विवरण दिया गया है और डब्ल्यूडीआईसी आदेश प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के अंदर उन्हें अभिवेदन प्रस्तुत करने की मांग की गई है।
उक्त डब्ल्यूडीआईसी आदेश दिनांकित 04-02-2026 उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए पते पर स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट से जारी किया गया था, लेकिन डाक ट्रैकिंग रिकॉर्ड के अनुसार, यह बिना वितरित हुए वापस आ गया/तामील नहीं करवाया जा सका।
ऐसे प्रेषितियों का विवरण नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	कर्जदार/गारंटर/प्रवर्तक/निदेशक/व्यक्तियों का नाम जो संस्था के कार्य प्रबंधन के प्रभारी और जिम्मेदार हैं	पता
1	श्री देविन्दर सिंह नारंग (कर्जदार)	मकान एस-210, रियर ग्राउंड फ्लोर, ग्रेटर कैलाश II, नई दिल्ली, 110048
2	श्रीमती कुलविंदर कौर (कर्जदार)	मकान एस-210, रियर ग्राउंड फ्लोर, ग्रेटर कैलाश II, नई दिल्ली, 110048

उपरोक्त व्यक्ति(यों) से इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से इंडियन बैंक, (शाखा का नाम) शाखा में जाकर सूचना प्राप्त करने और इस प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अंदर उस सूचना के संबंध में अपना निवेदन प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।
नियत अवधि में उत्तर नहीं देने पर यह माना जाएगा कि इस आदेश की तामील हो गई है और डब्ल्यूडीआरसी रिकॉर्ड में मौजूद तथ्यों और सामग्री के अनुसार और आरबीबाई के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगा।

शाखा प्रबंधक
एसएएम शाखा
साशय चूककर्ता पहचान समिति की ओर से

इंडियन बैंक Indian Bank इलाहाबाद ALLAHABAD

स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट शाखा,
प्रथम तल, 17, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
फोन : 01140230166
ई-मेल : armbdelhi@indianbank.co.in

सार्वजनिक सूचना

इंडियन बैंक द्वारा गठित साशय चूककर्ता पहचान समिति (डब्ल्यूडीआईसी) ने नीचे वर्णित कर्जदार/गारंटर/प्रवर्तक/निदेशक/व्यक्तियों, जो संबंधित संस्था के कार्य प्रबंधन के प्रभारी और जिम्मेदार हैं, की पहचान करने की प्रक्रिया आरंभ की है और साशय चूककर्ता के तौर पर पहचान की है, तथा डब्ल्यूडीआईसी आदेश दिनांकित 04-02-2026 जारी किया है।
इस आदेश में साशय चूक की घटना (घटनाक्रम) का विवरण दिया गया है और डब्ल्यूडीआईसी आदेश प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के अंदर उन्हें अभिवेदन प्रस्तुत करने की मांग की गई है।
उक्त डब्ल्यूडीआईसी आदेश दिनांकित 04-02-2026 उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए पते पर स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट से जारी किया गया था, लेकिन डाक ट्रैकिंग रिकॉर्ड के अनुसार, यह बिना वितरित हुए वापस आ गया/तामील नहीं करवाया जा सका।
ऐसे प्रेषितियों का विवरण नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	कर्जदार/गारंटर/प्रवर्तक/निदेशक/व्यक्तियों का नाम जो संस्था के कार्य प्रबंधन के प्रभारी और जिम्मेदार हैं	पता
1	मैसर्स केके पीयू फोम प्राइवेट लिमिटेड (कम्पनी)	पंजी. कार्यालय : 6, सहगल कॉलोनी, कोर्ट लेन, सिविल लाइंस, दिल्ली – 110064 फैक्ट्री : बी-7/33, साइट-सी, सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश
2	श्री प्रेम कुमार (निदेशक)	6, सहगल कॉलोनी, कोर्ट लेन, सिविल लाइंस, दिल्ली-110064
3	श्रीमती सुचिता मनचंदा (निदेशक)	6, सहगल कॉलोनी, कोर्ट लेन, सिविल लाइंस, दिल्ली-110064
4	श्री विजय कुमार मनचंदा (प्रवर्तक निदेशक)	6, सहगल कॉलोनी, कोर्ट लेन, सिविल लाइंस, दिल्ली-110064
5	श्री शशि मनचंदा (निदेशक)	6, सहगल कॉलोनी, कोर्ट लेन, सिविल लाइंस, दिल्ली-110064

उपरोक्त नामक व्यक्ति(यों) से इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से इंडियन बैंक, (शाखा का नाम) शाखा में जाकर सूचना प्राप्त करने और इस प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अंदर उस सूचना के संबंध में अपना निवेदन प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।
नियत अवधि में उत्तर नहीं देने पर यह माना जाएगा कि इस आदेश की तामील हो गई है और डब्ल्यूडीआरसी रिकॉर्ड में मौजूद तथ्यों और सामग्री के अनुसार और आरबीबाई के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगा।

शाखा प्रबंधक
एसएएम शाखा
साशय चूककर्ता पहचान समिति की ओर से

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

क्षेत्रीय तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा,
चौथी मंजिल, राजेंद्र प्लेस, राजेंद्र भवन, नई दिल्ली – 110008, भारत
फोन +91 11 42268509 , 42268003 ई-मेल : Armdel@bankofbaroda.com

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस, परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) देखें]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन

आम लोगों को और विशेष रूप से कर्जदार(रों), बंधककर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का **कब्जा**, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदार(रों), बंधककर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को प्रत्याभूत – दाता बैंक ऑफ बड़ौदा से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे वर्णित दिनांक को बेचा जाएगा। कर्जदार(रों), बंधककर्ता(ओं) और गारंटर(रों)/प्रतिभूति आस्तियां/बकाया/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की तिथि एवं समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है

क्र. सं.	कर्जदार्स/गारंटर्स/बंधककर्ताओं का नाम एवं पता	ज्ञात भार के साथ अचल संपत्ति का विवरण, यदि कोई हो (बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा बंधक सपत्ति)	कुल बकाया	ई-नीलामी की तिथि / ई-नीलामी का समय – प्रारंभ समय से समाप्ति समय	1. आरक्षित मूल्य 2. जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 3. न्यूनतम बोली वृद्धि राशि रु.	कब्जा की स्थिति (रचनात्मक / भौतिक)	निरीक्षण की तिथि एवं समय
1	**मैसर्स कैरव लिविंग** **प्रोप श्री गन्तव्य विवेक गुप्ता पुत्र श्री विवेक गुप्ता (उधारकर्ता)। पंजीकृत पताः** प्लॉट नंबर 112, सेक्टर 29, पार्ट-1 हुडा इंडस्ट्रियल एस्टेट, पानीपत हरियाणा- 132103। **इसके अलावाः** 8 सोंधापुर जाटल रोड, पंडित जी मिष्ठान भंडार के पास, पानीपत 132103। **इसके अलावाः** सोंधापुर जाटल रोड, निकट 509 सत करतार नगर, पानीपत 132103। **इसके अलावाः** 3151/34 बीडनपुरा, करोल बाग, दिल्ली-110005। **इसके अलावाः** हाउस नंबर 7 अर्बन एस्टेट हुडा, सेक्टर-11, पानीपत, हरियाणा-132103।	प्लॉट न. 112 पर स्थित फैक्ट्री भूमि और भवन का साम्यिक बंधक, जिसका संपत्ति आईडी नंबर P03701200121 है। सेक्टर-29, पार्ट-1, हुड्डा औद्योगिक एचएसआईआईडीसी क्षेत्र, पानीपत, हरियाणा – 132106 में स्थित और जिसका कवर्ड क्षेत्रफल 1176.20 वर्ग मीटर है, **श्री गंतव्य विवेक गुप्ता पुत्र श्री विवेक गुप्ता का है।**	**रुपये 10,31,47,412.97/-** (दस करोड़ इकतीस लाख सैंतालीस हजार चार सौ बारह और सत्तानवे पैसे मात्र) **दिनांक 18.02.2025 तक, 19.02.2025 से आज तक का ब्याज और प्रभार।**	**06.04.2026 अपराह्न 02.00 बजे से अपराह्न 06.00 बजे तक**	**आरक्षित मूल्यः रु. 14,13,00,000/- धरोहर राशि रु. 1,41,30,000/- बोली वृद्धि राशि रु. 1,00,000/-**	**सांकेतिक कब्जा**	02.04.2026 से प्रातः 10:00 अपराह्न से 2:00

बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया वेबसाइट लिंक **https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm** और **https://baanknet.com**. देखें। इच्छुक बोलीदाता अधिकृत अधिकारी श्री निखिल रंजन से मोबाइल नंबर 8053523623 पर संपर्क कर सकते हैं। यह माना जाता है कि इच्छुक बोलीदाता सरफेसी अधिनियम और उसके संशोधनों के प्रावधानों से भलीभांति परिचित हैं।

दिनांक : 09.03.2026, स्थान : दिल्ली — **प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा**

pnb पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
.....भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

एआरएमबी : दक्षिण दिल्ली,
चतुर्थ तल, 7 पीएनबी हाउस, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली-110066
फोन- 011-47519273 ईमेलः cs4168@pnb.bank.in

अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस,
आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का सांकेतिक/वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार
प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नामः / खाते का नामः / उधारकर्ता/गारंटर/खाते का नाम और पताः	बंधक रखी गई अचल संपत्ति का विवरण/मालिक का नाम (संपत्तियों का बंधककर्ता)	(E) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि (F) मांग सूचना के अनुसार राशि G) सरफैसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि (H) कब्जा की स्थिति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	(A) आरक्षित मूल्य (B) ईएमडी (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि) (C) बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात एन्कम्ब्रेन्स का विवरण	प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं नं.
1.	**शाखाः एआरएमबी, दक्षिण दिल्ली (416800)** **श्रीमती मामचंदी पत्नी स्व. श्री हंसराज बैसला** निवासी मकान- नंबर 37, हुडा कॉम्प्लेक्स के सामने, सेक्टर-29, अर्बन एस्टेट, फरीदाबाद, हरियाणा-121008।	**सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति नं. 37, सेक्टर-29, अर्बन एस्टेट, फरीदाबाद (हुडा) क्षेत्रफल 480.00 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती मामचंदी पत्नी स्व. श्री हंसराज बैसला के नाम पर है।**	E) 24.01.2024 F) रु. 25.02 लाख + अतिरिक्त ब्याज एवं अन्य शुल्क G) 27.05.2024 H) सांकेतिक	A) रू. 597.00 लाख B) रू. 59.70 लाख C) रू. 1,00,000/-	30.03.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	उधारकर्त्ता द्वारा एसए दायर किया गया है लेकिन संपत्ति की बिक्री पर कोई रोक नहीं है।	श्री हरिश कुमार 8800417770
2.	**पीएनबी बी/ओ बसंत कुंज नई दिल्ली (411400)** **मैसर्स टी.एस चड्ढा एंड कंपनी.** **प्रोप.-विक्रमजीत सिंह चड्ढा** एच नंबर-148-ए लोअर ग्राउंड फ्लोर अर्जुन नगर, सफदरजंग एन्क्लेव नई दिल्ली-110029 **इसके अलावा – श्रीमती गुरुमीत कौर पत्नी श्री तारा चंद चड्ढा** मकान नंबर-148/ए अपर ग्राउंड फ्लोर अर्जुन नगर, सफदरजंग एन्क्लेव नई दिल्ली-110029 **इसके अलावा – श्री विक्रमजीत सिंह चड्ढा** मकान नंबर-148-ए अपर ग्राउंड फ्लोर अर्जुन नगर, सफदरजंग एन्क्लेव नई दिल्ली-110029	संपत्ति का संपूर्ण निचला भूतल और तीसरा तल, 148/ए स्ट्रीट नं.-29 अर्जुन नगर नई दिल्ली-110029 में निर्मित, क्षेत्रफल 82 वर्ग गज, श्रीमती गुरमीत कौर के नाम पर।	E) 22.10.2018 F) Rs.30.72 लाख प्लस भविष्य का ब्याज एवं अन्य प्रभार G) 12.02.2019 H) भौतिक	A) रु. 62.35 लाख B) रु. 6.235 लाख C) रु. 50,000/-	30.03.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	संपत्ति पर एसए लंबित है परंतु बिक्री पर कोई रोक नहीं है	श्री हरिश कुमार 8800417770

ई-नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्तें : बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। 1. नीलामी बिक्री "ई-नीलामी" पोर्टल https://baanknet.com के माध्यम से ऑनलाइन होगी। (2) ई-नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म (https://baanknet.com) ई-नीलामी सेवा प्रदाता मेसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट 1, तीसरी मंजिल, VIOS कमर्शियल टॉवर, वडाला ट्रक टर्मिनल के पास, वडाला ईस्ट मुंबई-400037 (हेल्पडेस्क नं. 91 8291220220, ईमेल आईडी: support.ebkray@psballiance.com) द्वारा प्रदान किया जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट https://baanknet.com पर ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक है। यह सेवा प्रदाता पोर्टल पर ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। (3) बिक्री की सामान्य शर्तों और नियमों से युक्त बिक्री नोटिस निम्नलिखित वेबसाइटों/वेब पेज पोर्टल (1) https://baanknet.com (2) www.pnbindia.in पर उपलब्ध/प्रकाशित है। (4) सफल बोलीदाता द्वारा बैंक को बिक्री प्रतिफल का भुगतान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194-1ए के अंतर्गत टीडीएस के अधीन होगा तथा सफल बोलीदाता द्वारा बोली राशि का शेष 75% जमा करने/बोली राशि की पूर्ण जमा करने के समय ही टीडीएस का भुगतान किया जाना है। (5) संपत्तियों को "जहां है जैसी है" और "जो है जैसी है" तथा "जो भी है जैसी है" के आधार पर बेचा जा रहा है। (6) उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। (7) सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के तहत नोटिस, और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ क्रम संख्या 01 से क्रम संख्या 02 तक सभी मामलों में जारी किया गया है (8) बिक्री की विस्तृत शर्तों के लिए, कृपया https://baanknet.com & www.pnbindia.in देखें।

दिनांक : 09.03.2026, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

पंजाब एण्ड सिंध बैंक Punjab & Sind Bank

जोन दिल्ली-II, बी-38/39, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 1, नारायणा, नई दिल्ली-110014

शुद्धिपत्र

यह शुद्धिपत्र दिनांक 07.03.2026 को इस समाचार पत्र में प्रकाशित खाता श्री समीउद्दीन आलम, श्री रजनीश कुमार एवं श्री अनिल कुमार ठाकुर की सम्पत्तियों की ई-नीलामी के लिए प्रकाशित बिक्री सूचना के सन्दर्भ में है जिसमें **क्रम संख्या 2 श्री रजनीश कुमार एवं श्रीमती ज्योति** के विवरण में निम्नवत परिवर्तन है:
(i) यह खाता सिर्फ शाखा कार्यालय एसजीजीएससीसी पीतमपुरा का है।
(ii) इसके प्राधिकृत अधिकारी का नाम **सुधीर कुमार पाल (मुख्य प्रबंधक)** एवं सम्पर्क नं **7508889208** है।

दिनांकः 10.03.2026, स्थानः नई दिल्ली — **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक**

UP APPTCL

उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० ई-नीलामी सूचना, विद्युत 400 के0वी0 उपकेन्द्र, दही चौकी, उन्नाव पर उपलब्ध स्कैप सामग्री को विक्रय किये जाने हेतु M/s M.S.T.C. द्वारा ई-ऑक्शन (MSTC/LKO/UTTAR PRADESH POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED/11/UNNAO/25-26/67543) के माध्यम से ई-नीलामी हेतु दिनांक 20.03.2026 को बोली लगाये जाने हेतु आमंत्रित किया गया है। नीलामी सूची तथा अन्य नियम व शर्तें M/s M.S.T.C. की वेबसाइटः- www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध हैं। नीलामी से सम्बन्धित जानकारी और संशोधन (यदि कोई हो तो) केवल उपरोक्त वेबसाइट पर ही अपलोड किये जायेंगे। सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क करने हेतु : अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत 400 के0वी0 उपकेन्द्र खण्ड, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, दही चौकी, उन्नाव ई-मेलः-ee400unnao@upptcl.org / मोबाइल नम्बर-9450909439 पर सम्पर्क करें।
हस्ता./-अधिशाषी अभियन्ता विद्युत 400 के0वी0 उपकेन्द्र खण्ड, उन्नाव, "राष्ट्र हित में उर्जा बचायें" पत्रांक/Ref. No.1089/ ई०एस० डी० यू०/ESDU/दिनांक/Dated: 09/03/2026

केनरा बैंक Canara Bank A Government of India Undertaking
Syndicate Bank

दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा,
सी-34, तृतीय तल, डीडीए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मूलचंद अस्पताल के सामने, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024 फोन- 011-35705069

ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से ऋणी(यों) व गारंटरों को सूचित किया जाता है, कि प्रतिभूति ऋणदाताओं को बंधक/दृष्टिबंधक/प्रभारित नीचे वर्णित चल/अचल सम्पत्ति, जिस पर केनरा बैंक, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया है, को "जहां है जैसी है", "जो है कैसी है" और जैसी भी है" के आधार पर नीचे वर्णित दिनांकों को बंधक सम्पत्ति की बिक्री आयोजित की जाएगी। **प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) और 9 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन धारा अधिनियम 2002 के अधीन**
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया **https://baanknet.com/** (मैसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड),, (सम्पर्क नं. **8291220220**, ईमेल: **Support.BAANKNET@psballiance.com** या केनरा बैंक की वेबसाइट **www.canarabank.com** में दिए गए लिंक "ई-नीलामी" को देखें। आरक्षित मूल्य की **10%** ईएमडी राशि मैसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड **https://baanknet.com/** पोर्टल के ई-वॉलेट में सीधे जमा की जानी है या चालान बनाकर उक्त चालान में उल्लिखित खाता विवरण में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी जमा करना है।

क्र. सं.	शाखा का नाम / कर्जदार/गारंटर्स/बंधककर्ता का नाम एवं पता	चल/अचल संपत्ति का विवरण और कब्जे की स्थिति	कुल बकाया राशि	a. आरक्षित मूल्य (रु.) b. धरोहर राशि (रु.) c. बोली वृद्धि (रु.) d. बिक्री सूचना की तिथि	ई-नीलामी की तिथि एवं समय (प्रत्येक 5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ) ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व अपॉइंटमेंट लेकर सम्पत्ति का निरीक्षण किया जा सकता है और सम्पर्क व्यक्ति का नाम
1	**दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधक शाखा दिल्ली** **1. मैसर्स श्री रामा स्टील लिमिटेड,** एससीओ 904, एनएसी, मणि मजारा, चंडीगढ़ (पंजीकृत कार्यालय)-134114 **2. मैसर्स गणपति स्ट्रिप्स प्रा. लि.,** मंडी गोबिंदगढ़, जिला फतेहगढ़ साहिब (पंजाब) पंजीकृत कार्यालय एससीओ 904, एनएसी, मणि माजरा चंडीगढ़-134114 **3. मेसर्स सुभाष कास्टिंग,** जरौत रोड अंबाला सिटी, पिन-134003 **4. मेसर्स अग्रवाल रिफ्रैक्टरी प्रा. लि.,** 3 विकास विहार अंबाला सिटी – 134003 **5. ओम प्रकाश अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय आसा राम,** निवासी मकान नं. 117 सेक्टर 8, पंचकूला-134109 (मेसर्स श्री रामा स्टील के गारंटर और मेसर्स अग्रवाल रिफ्रैक्टरी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक) **6. प्रदीप कुमार अग्रवाल पुत्र ओ पी अग्रवाल,** निवासी मकान नं. 117 सेक्टर 8, पंचकूला, पिन-134109 (मेसर्स श्री रामा स्टील के गारंटर और मेसर्स गणपति स्ट्रिप्स प्रा. लि. के निदेशक) **7 सरिता अग्रवाल पत्नी प्रदीप कुमार अग्रवाल,** निवासी मकान नं. 117 सेक्टर 8, पंचकूला,-134109, **8. शीलावती अग्रवाल पत्नी ओम प्रकाश अग्रवाल,** निवासी मकान नं. 117 सेक्टर 8 पंचकूला-134109 (मेसर्स श्री रामा स्टील के गारंटर और मेसर्स सुभाष कास्टिंग के मालिक)	**(i)** भूमि क्षेत्रफल 8 कनाल, खेवट/खाता सं. 18/13 मिन, 20 खसरा सं. 10/12/(8-0) में, ग्राम मंढौर, तहसील और जिला अंबाला (हरियाणा) में जारौत रोड पर इंतकाल सं. 2912 के अनुसार बिक्री विलेख दिनांक 02.11.1988, मैसर्स सुभाष कास्टिंग्स के नाम पर है। **यह संपत्ति बैंक के सांकेतिक कब्जे में है।** **(ii)** भूमि क्षेत्रफल 4 कनाल 07 मारला, खेवट/खाता सं. **383/424, 384/425** खसरा नं. **9/14/2/2 (0-18) 9/15/1(0-18) 9/15/2 (4-7) 9/14/1/2 (6-4)** ग्राम मंढौर, तह. और जिला अंबाला (हरियाणा) में जारौत रोड पर इंतकाल सं. 2912 के अनुसार बिक्री विलेख दिनांक 17.02.1989, मैसर्स सुभाष कास्टिंग्स के नाम पर है। **यह संपत्ति बैंक के सांकेतिक कब